न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला-भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः- उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः-195/2017 राजस्व वाद

अनवान

श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह मुतबन्ना ईश्वर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी सरेडी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। ----वादी।

बनाम

1-राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा (राज0)
2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेड़ा तहसील करेड़ा

--प्रतिवादीगण।

उपस्थितः-

1-श्री इमरान खान पठान — अधिवक्ता वादी।
2-पेरोकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद पत्र अन्तर्गत 88-89-188रा0का0अधिनियम

निर्णय — दिनांक 09.10.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा दिनांक 10.03.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के यहां वाद पत्र अन्तर्गत 88-89-188रा0का0अधिनियम बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को विधिवत नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये। प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान / उनके अधिवक्ता को सुनवाई तारीख हेतु सूचित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किया जो पत्रावली के साथ संलग्न है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से वादी राजस्व ग्राम सरेडी पटवार हल्का भभाणा की कृषि आ0नं. 182, 183, 184 एवं 185 तथा आ0नं. 917/9 व 935/9 में वादी के गोदपिता ईश्वर सिंह पुत्र श्री धूकल सिंह उर्फ नेनू सिंह राजपूत के हक हिस्से की भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने की घोषणा डिक्री जारी कराने का अनुतोष चाहता है। वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व रेकॉर्ड अनुसार वादपत्र में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकॉर्ड हैं। वादपत्र के अनुसार खातेदार ईश्वर सिंह पुत्र धूकल सिंह उर्फ नेनु सिंह राजपूत नि0 सरेडी के कोई संतान नहीं होने से ईश्वर सिंह ने अपने भाई मदन सिंह के पुत्र वीरेन्द्र सिंह को जाति समाज के रस्म रिवाज से गोदपुत्र रखना जाहिर किया है। किन्तु वादपत्र के साथ वादी के पक्ष में संपादित पंजीकृत गोदनामे संबंधी कोई वैध दस्तावेज

Scanned by CamScanner

संलग्न नहीं है। जिससे प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाब के अनुसार राजस्व ग्राम सरेडी तहसील करेडा के आ0नं. 182, 183, 184 एव 185 ईश्वर सिंह पुत्र धूकल सिंह राजपूत निवासी सरेडी के नाम तथा आ0नं. 917/9 व 935/9 ईश्वर सिंह पुत्र नेनु सिंह के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। वादपत्र में वादी ने गोदनामा संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादी ईश्वर सिंह का विधिक गोदपुत्र होना साबित हो। वैध दस्तावेज के अभाव में ईश्वर सिंह पुत्र धूकल सिंह राजपूत अथवा ईश्वर सिंह पुत्र नेनु सिंह राजपूत निवासी सरेडी का प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं है। इस कारण वादी राजस्व रेकार्ड में दर्ज ईश्वर सिंह पुत्र धूकल सिंह राजपूत एवं ईश्वर सिंह पुत्र नेनू सिंह राजपूत निवासी सरेडी की खातेदारी हक की भूमि अपने नाम दर्ज कराने का विधिक अधिकारी नहीं है। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स, 1957 के नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार गोदनामे का पंजीकृत होना आवश्यक है। अपंजीकृत गोदनामे के आधार पर नियमानुसार नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। तथा वादी ने ईश्वर सिंह के प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के किसी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाकर तथ्यों को छुपाया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में अंकित प्रावधानों के अनुसार मृतक के समस्त वैध वारिसान के नाम विरासत से नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने एवं घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है किन्तु अकेले वादी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने एवं घोषणात्मक डिक्री तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित एवं कानूनन आवश्यक नहीं है। प्रकरण में ऐसा कोई वैध दस्तावेज संलग्न नहीं है कि जिससे साबित होता हो कि श्री वीरेन्द्र सिंह गोदपुत्र ईश्वर सिंह है।

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तहसीलदार करेडा ईश्वर सिंह पुत्र धूकल सिंह उर्फ नेनु सिंह निवासी सरेडी के विधिक वारिसान की जांच कर विधिवत नामान्तरकरण की कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कम होकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–195/2017 राजस्व वाद

अनवान

श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह मुतबन्ना ईश्वर सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी सरेडी तहसील करेडा जिला भीलवाडा। ––––वादी।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा (राज0)
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा तहसील करेडा

––प्रतिवादीगण।

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद पत्र अन्तर्गत 88–89–188रा0का0अधिनियम

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिराल कतई हिजरी वकील वादी श्री इमरान खान पठान मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अस्वीकार किया जाकर किया जाता है। तहसीलदार करेडा ईश्वर सिंह पुत्र धूकल सिंह उर्फ नेनु सिंह निवासी सरेडी के विधिक वारिसान की जांच कर विधिवत नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 09.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला-भीलवाडा

Scanned by CamScanner